

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2021—माघ 2, शक 1942

## भाग ४

### विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश,  
(ग) (1) प्रारूप नियम,

- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(2) अन्तिम नियम.

- (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.  
(3) संसद् के अधिनियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

No. A/44

Jabalpur, dated 8th January 2021

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 229 of the Constitution of India, the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, hereby, makes the following further amendment in the "High Court of Madhya Pradesh Services (Recruitment, General Conditions of Services, Conduct, Classification, Control and Appeal) Rules, 2017", namely:—

### AMENDMENT

In the Schedule-I, in column No. 6 of Sr. No. 66, point no. (v) and the entries relating thereto, shall be deleted.

RAJENDRA KUMAR VANI, Registrar General.

No. A/46

जबलपुर, दिनांक 8 जनवरी 2021

भारत के संविधान की धारा 229 खण्ड (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश, एतद्वारा, "मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1976" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 4 में, शब्द "पाँच वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" स्थापित किए जाएं.

**राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल.**